..............................बनाम..............................

मुकदमा..............................नम्बर..............................वर्ष..................

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	25/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री तरूण शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा(नोमिनी) निवासी सरस्वती शिशु मन्दिर के पास आदर्श नगर मोहल्ला ब्रहमान्ड नगर गुलाथी बुलन्दशहर उत्तरप्रदेश हाल निवासी एसकेएस इण्ड0 एरिया रिंगस सीकर मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ग्राम परसरामपुरा पोस्ट सरगौठ एसकेएस इण्ड. एरिया रिंगस जिला सीकर कि ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह तंवर उपस्थित हुये। वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 18.10.2019 को समय 01:00 पी.एम. पर, इण्ड. रिंगस में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड ग्राम परसरामपुरा पोस्ट सरगौठ एसकेएस इण्ड. एरिया रिंगस जिला सीकर मौके पर विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) पैक किया जा रहा था। अप्रार्थी को मैने अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र कि प्रति पेश की। फर्म पर अप्रार्थी से उपलब्ध पनीर (खुला) स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 1 किलोग्राम पनीर (खुला) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 240 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। प्रार्थी, अप्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस कोई भी ऐसा तथ्य सामने नहीं रखा। जिससे ये साबित होता हो कि अप्रार्थी निर्दोष है। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह सामने आया कि प्रार्थी के नम्बर एफ–1792 खाद्य पदार्थ पनीर (खुला) का नमूना लिया गया। जिसकी रिपोर्ट राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला जयपुर के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। प्रयोग शाला जयपुर की रिपोर्ट प्रकरण में एक अहम सबूत है। अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 200[illegible] म 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का [illegible] कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना [illegible] साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम	
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 1,00,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner